स्कूलों में फिर बोर्ड परीक्षा: शिक्षा की नींव मजबूत करने वाला फैसला

- अजय बोकिल

मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के स्कूलों में पांचवी और आठवीं बोर्ड की परीक्षा पद्धति को फिर से लागू करने का फैसला कर छात्रों और अभिभावकों के हित में निर्णय लिया है। यह पुरानी और बरसों तक आजमाई हुई व्यवस्था प्रदेश में 10 साल बाद फिर से लागू होने जा रही है। इसके तहत स्कूली शिक्षा विभाग 5 वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर आयोजित करेगा। इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि इन परीक्षाओं में फेल होने वाले छात्रों का नुकसान न हो। बोर्ड की मुख्य परीक्षा में फेल होने वाले बच्चों के लिए शिक्षकों की अतिरिक्त क्लास लगाई जाएगी। इसके बाद फिर से उनकी परीक्षा होगी। अगर इस परीक्षा में भी छात्र फेल हो गया तो फिर से उसे दोबारा उसी क्लास में पढ़ना होगा। मप्र में अभी कक्षा 5 वीं और 8वीं क्लास में बच्चों को फेल नहीं किया जाता है।

सरकार के इस बहुप्रतीक्षित फैसले के बारे में स्कूली शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने बताया कि पहले भी जब 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर होती थी, तब बच्चे पढ़ाई को लेकर गंभीर रहते थे। बोर्ड परीक्षा बंद होने पर बच्चों के साथ-साथ शिक्षकों ने भी इसे गंभीरता से लेना बंद कर दिया। इस कारण बोर्ड का रिजल्ट लगातार गिरने लगा था। यह फैसला बहुप्रतीक्षित इसलिए कहा जाएगा, क्योंकि 2015 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में सभी राज्यों के बीच इस मुद्दे पर सहमति बनी थी। लेकिन मध्यप्रदेश ने विद्यार्थियों के हित में फैसला लेकर बाजी मार ली है।

ध्यान रहे कि वर्ष 2009 में 5 वीं और 8 वीं की बोर्ड परीक्षाएं इस तर्क के आधार पर बंद कर दी गईं थीं कि इनसे छोटे बच्चों पर मानसिक दबाव बनता है। बोर्ड परीक्षा समाप्त होने के बाद 5वीं और 8वीं में फेल होने वाले विद्यार्थियों को औसत नंबर देकर अगली कक्षा में ढकेल दिया जाता था। जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि बच्चे परीक्षाओं को बहुत हल्के में लेने लगे और शिक्षकों तथा अभिभावकों के पास भी ऐसा कोई पैमाना नहीं बचा कि वे जान सकें कि बच्चे स्कूल में आखिर क्या सीख रहे हैं अथवा उन्होंने कितना सीखा है। उनके ज्ञानार्जन का स्तर क्या है? वह अपेक्षा के अनुरूप है या नहीं, आदि।

नई व्यवस्था लागू होने के एक दशक बाद जो बेसिक शिक्षा को लेकर जो दुष्परिणाम सामने आए, उससे यह सवाल भी उठ रहा है कि दस साल पूर्व इस नई पद्धति को क्या सोच कर लागू किया गया था? यह सही है कि 2009 में शिक्षा का अधिकार लागू कर देश में एक बड़ा और क्रांतिकारी फैसला लिया गया था, लेकिन इसी के साथ शिक्षा पद्धति में सुधार और उसे तनावहीन बनाने की तर्क की आड़ में यह व्यवस्था भी लागू की गई कि देश में 10 वीं तक बच्चे फेल ही नहीं किए जाएंगे। यानी शिक्षा की गाड़ी बिना सिग्नल वाली ट्रेन की तरह चलेगी। कई शिक्षाविदों ने उस वक्त भी इस नई व्यवस्था के संभावित खतरों से आगाह किया था, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। आज स्थिति यह है कि स्कूलों में बच्चों को क्या आता है? उन्होंने वास्तव में कुछ सीखा है भी या नहीं, यह जांचने की कोई कारगर और नियमित व्यवस्था ही नहीं है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर फिर से बोर्ड परीक्षा लागू करने के बाद अब विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर की प्रभावी ढंग से जांच हो सकेगी, साथ ही शिक्षकों पर भी बेहतर नतीजे देने का दायित्व बढ़ेगा।

स्टीम एजुकेशन पद्धति :

शिक्षा की गुणवत्ता के साथ-साथ उसे एकीकृत पद्धति से पढ़ाने की दिशा में भी मप्र में महत्वपूर्ण पहल हो रही है। ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के सतत विस्तार और हर शाखा के स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित होते जाने के बीच शिक्षा क्षेत्र में यह बात गंभीरता से महसूस की जाती रही है कि बच्चों को ज्ञान की मूलभूत शाखाओं और कौशल

की एकीकृत शिक्षा दी जाए। मध्यप्रदेश में इसकी पहल स्टीम शिक्षण पद्धति से हो रही है। 'स्टीम' से तात्पर्य अंग्रेजी के साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथ्स आधारित शिक्षा प्रणाली से है। इसका आशय किताबी ज्ञान को कौशल विकास के साथ जोड़ने से है। 'स्टीम' शब्द इन पांचों ज्ञान शाखाओं के पहले अक्षर से मिलकर बना है। यह पद्धति कोरिया में काफी सफल रही है।

स्टीम प्रणाली की विस्तृत जानकारी देने के उद्देश्य से भोपाल में पिछले दिनों दो दिनी कॉनक्लेव का आयोजन हुआ। जिसमें देश-विदेश से आए 4 सौ से अधिक शिक्षकों तथा शिक्षाविदों ने स्टीम शिक्षण पद्धति को लेकर काफी विचार मंथन किया। इस कॉनक्लेव में एक अहम घोषणा स्कूली शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने यह की कि प्रदेश में स्कूली शिक्षा सुधार के लिए अब अलग से कैबिनेट होगी।

वास्तव में स्टीम एक अवधारणा है, जो बच्चों की पढ़ाई में रूचि को बढ़ाते हुए उन्हें क्रिएटिव होने का प्लेटफार्म प्रदान करती है। इससे बच्चे खुद की समझ विकसित करना सीखते हैं। इस पद्धति के तहत उन्हें चीजों को रटने के बजाए समझ से तालमेल बिठाते हुए सिखाने का प्रयत्न किया जाता है। थ्योरी के बजाए प्रायोगिक ज्ञान पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इस स्टीम पद्धति की प्रणेता जार्जेट याकमैन हैं। याकमैन स्वयं भी इस कॉनक्लेव में मौजूद थीं। उनके मुताबिक स्टीम कार्यक्रम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जिसमें शिक्षा के विभिन्न अनुशासनों को एकीकृत ढंग से पढ़ाया जा सके। इसका मकसद बच्चों को नवाचार सिखाना, विवेचनात्मक दृष्टि से सोचना तथा वैश्विक समस्याओं के निदान के संदर्भ में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी का कल्पनाशील ढंग से उपयोग करना है। शिक्षाविदों का मानना कि आजकल बच्चे टैक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर तो कम्फर्टेबल हैं, लेकिन उनमें उस कौशल का अभाव है, जो 21 वीं सदी के हिसाब से जरूरी है। इस नए और एकीकृत ज्ञान के कौशल से ही वर्तमान सदी का वर्कफोर्स तैयार होगा। ऐसे वर्कफोर्स की भारत जैसे विकासशील देश को बहुत जरूरत है।

मध्यप्रदेश की वर्तमान शिक्षा पद्धति भी काफी कुछ स्टीम प्रणाली से ही मिलती-जुलती है। राज्य में 1 लाख 18 हजार से ज्यादा स्कूल हैं। इनमें से कई तो अत्यंत दूरदराज के इलाकों में हैं। ये स्कूल अलग-अलग केटेगरी में बंटे हैं। इन स्कूलों के पढ़ाई के पैटर्न में भी एकरूपता लाने की जरूरत है। सरकार ने तय किया है कि कॉनक्लेव में आए सुझावों के आधार पर स्कूली शिक्षा की भावी रणनीति तय की जाएगी।

स्कूल शिक्षा को अद्यतन करने के लिए समय-समय पर प्रयास होते रहते हैं। स्टीम पद्धति भी इसी की अगली कड़ी है। स्कूली बच्चों को उनके समय की चुनौतियों और जरूरत के अनुरूप शिक्षा दी जाए, इसमें दो राय नहीं हैं। अगर स्टीम प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो यह शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश की सरकार की बड़ी उपलब्धि होगी। इससे राज्य में स्कूली शिक्षा का चेहरा और तासीर भी बदलेगी। जिसकी आज बेहद जरूरत है।

(प्रस्तुति: मनुज फीचर सर्विस)

नोट: मनुज फीचर सर्विस में छपे लेखों के विचार लेखक के अपने हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। यहां प्रकाशित सामग्री का उपयोग गैर व्यावसायिक कार्यों के लिए करने हेतु किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मनुज फीचर सर्विस का उल्लेख अवश्य करें।